



कार्यालय-आदेश

कार्यालय आदेश पत्रांक- c/o-camp दिनांक 02 मई, 2020 के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रसार को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय परिसर सहित सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों एवं संस्थानों में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को दिनांक 18 मई, 2020 तक स्थगित किया गया है। तत्क्रम भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रसार को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 31 मई, 2020 तक लाकडाउन घोषित किया गया है।


मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय परिसर सहित सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों एवं संस्थानों में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। यह भी कि स्थगित की गयी वार्षिक परीक्षा के समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के सम्बन्ध में लाकडाउन के समाप्ति अथवा उ0प्र0 शासन के निर्देश के बाद अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

समस्त नोडल केन्द्रों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित गोपनीय सामग्री को स्ट्रॉरूम में सुरक्षित रखें। गोपनीय सामग्री लीक होने की स्थिति में नोडल केन्द्र उत्तरदायी होंगे।

डॉ0(कुलदीप सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मा0 कुलपति जी।
2. कुलसचिव जी।
3. वित्त अधिकारी जी।
4. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/पाठ्यक्रम प्रभारी।
5. केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य- समस्त परीक्षा केन्द्र।
6. नोडल अधिकारी- समस्त नोडल केन्द्र।
7. जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक- वाराणसी, चन्दौली, भदोही, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।
8. क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी।
9. अधीक्षक परीक्षा गोपनीय/अति गोपनीय/सम्बद्धता।
10. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. समस्त सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय से कि जन साधारण के सूचनार्थ निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।


परीक्षा नियंत्रक
18/5/20